



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062021-227706
CG-DL-E-18062021-227706

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2233]
No. 2233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISHTHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2021

का.आ. 2405(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1282(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2003, का.आ.1083(अ) तारीख 16 मार्च, 2006, का.आ. 2757 तारीख 19 सितम्बर, 2007, का.आ. 1516(अ) तारीख 23 जून, 2010, का.आ. 3466(अ) तारीख 18 दिसम्बर, 2015 और का.आ. 404(अ) तारीख 22 जनवरी, 2018 को, सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 29(क) की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी आवास वित्तीय कंपनियों को जिनकी एक सौ करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की आस्तियां हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्थाओं के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 31/48/2018-डीआरटी]

वंदिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2021

S.O. 2405(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in supersession of the notifications of the Government of India, Ministry of Finance numbers S.O.1282 (E), dated the 10th November, 2003, S.O. 1083 (E) dated 16th March, 2006, S.O. 2757 dated 19th September, 2007, S.O. 1516(E) dated 23rd June, 2010, S.O. 3466 (E) dated 18th December, 2015, and S.O.404(E) dated 22nd January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies such housing financial companies registered under sub-section (5) of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), having assets worth rupees one hundred crore and above, as financial institutions for the purposes of the said Act.

[F. No. 31/48/2018 -DRT]

VANDITA KAUL, Addl. Secy.